

फा) .एवं आ.से/14-2013/27-5 .सं.भण्डार(  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

### नीलामी सूचना

एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली अनुपयुक्त सामग्री का नीलामी के माध्यम से **जहाँ है जैसा है आधार** पर निपटान करेगी। यह नीलामी दिनांक 09.12.2013 बजे 11:30 को पूर्वाह्न परिसर .ई.आई.एन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 -में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता ऊपर उल्लिखित अनुसूचित तारीख और समय पर प्रति लॉट उपकरण एवं फर्नीचर तथा ) (सूचना प्रौद्योगिकीय उपकरण ₹ 10,000/-की बोली राशि जमा कर (रूपये दस हजार मात्र) सामग्री का निरीक्षण सामग्री की नीलामी में भाग ले सकते हैं। अनुपयुक्त के अनुपयुक्त 10.00 :किसी भी कार्य दिवस को प्रातःबजे से सायं बजे तक किया जा सकता है। 4:00 की वेबसा .टी.आर.ई.सी.नियम एवं शर्तों का विवरण एनडिट [www.ncert.nic.in](http://www.ncert.nic.in) पर उपलब्ध हैं जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड भी किया जा सकता है।

(जे. पी. भुलानिया)

वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, एनसीईआरटी

फोन नं26534138-011 .

### नियम एवं शर्तें :

- .1 अनुपयुक्त सामग्री सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को जहाँ हैं जैसा है आधार पर बेची जाएगी।
- .2 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को सौदे/बोली का मूल्य उसी दिन नकद जमा करवाना होगा।
- .3 इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिभूति राशि ईएमडी के रूप में ₹ 10, -/000का डीडी/बीसी जोकि सचिव, एनसीईआरटी के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। असफल बोलीदाताओं को यह राशि वापिस कर दी जाएगी।
- .4 अनुपयुक्त सामग्री का निरीक्षण एनसीईआरटी परिसर में किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00बजे से सायं 4.00बजे तक के बीच किया जा सकता है।
- .5 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को अनुपयुक्त सामग्री का स्वामित्व सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् बोली के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर दिया जाएगा।
- .6 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले/खरीददार को अनुपयुक्त सामग्री अपनी लागत पर दो दिनों के भीतर उठानी होगी। उसके पश्चात् भूमि किराए के रूप में ₹ -/2000प्रतिदिन की दर से राशि प्रभारित की जाएगी।
- .7 यदि सबसे ऊँची बोली लगाने वाला अनुपयुक्त सामग्री को उसी दिन अथवा भूमि किराया सहित दो दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर भी नहीं ले जाता तो उस स्थिति में, उसके द्वारा जमा की गई ₹ 10, -/000की बोली प्रतिभूति/ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी अर्थात् जमाकर्ता के जोखिम और लागत पर अनुपयुक्त सामग्री का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा।
- .8 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को पूर्ण बोली राशि का 12.5 प्रतिशत मूल्य संवर्धित कर )वैट ( संबद्ध प्राधिकारी के पास जमा करवाना होगा और जमा पर्ची एनसीईआरटी में प्रस्तुत की जाएगी।
- .9 यदि दोनों पक्षों के बीच इस संविदा के किसी भी पहलू के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में एनसीईआरटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- .10 यदि नीलामी की तारीख को किसी भी कारण से अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो यह नीलामी अगले कार्य दिवसों पर की जाएगी।
- .11 यह नीलामी 9<sup>th</sup> December को पूर्वाह्न 11:30बजे एनसीईआरटी परिसर में की जाएगी।
- .12 एनसीईआरटी के पास बिना कोई कारण बताएँ नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

)जे.पी .भुलानिया(  
वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, एनसीईआरटी  
फोन नं26534138-011 .